पत्र सं0–वैट–परिपत्र भाग–2–(08–09)– 289/0809076/वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वैट अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: नवम्बर 01 ,2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड–1,वाणिज्य कर,

<u>उत्तर प्रदेश ।</u>

व्यापारियों द्वारा पंजीयन प्रार्थनापत्र देने पर विभिन्न कार्यवाहियों जैसे बयान लिये जाने, व्यापारस्थल की स्थानीय जॉच तथा व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के सत्यापन में लगने वाले समय के कारण पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने में काफी विलम्ब हो रहा है । इस विलम्ब के कारण व्यापारियों को व्यापार करने में असुविधा का सामना करना पडता है, जिसका प्रभाव राजस्व संग्रह पर भी पडता है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस विलम्ब को समाप्त करके तत्काल पंजीयन प्रमाणपत्र, प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के ही दिन प्रदान कर दिया जाये।

अतः जिन व्यापारियों द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण प्रार्थनापत्र संलग्नकों सहित प्राप्त करा दिये जाते हैं तथा पहचान के रुप में पैन कॉर्ड की प्रमाणित छायाप्रति, निवास एवं व्यापारस्थल के प्रमाण के रुप में पूर्व परिपत्रों में निर्धारित साक्ष्य दे दिये जाते हैं तो उसी दिन उसका बायोमैट्रिक डाटा लेते हुए पंजीयन प्रमाणपत्र तत्काल जारी कर दिया जाये। बायोमैट्रिक हेतु स्वामी/पार्टनर/डायरेक्टर/अथराइज्ड सिगनेटरी में से एक व्यक्ति को प्रार्थनापत्र के साथ पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक होगा। पंजीयन अधिकारी व्यापारस्थल की स्थानीय जॉच दो सप्ताह के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगें । पंजीयन के संबंध में पूर्व जारी समस्त निर्देश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें ।

पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने की यह व्यवस्था दिनांक. 4.11.08 से प्रभावी होगी। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।</u>

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री एस0सी0द्विवेदी/श्री यू0सी0दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)/(अपील)/कॉरपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।

9. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
10. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5–5 तथा 10 प्रतियां।
11. वैट अनुभाग को 50 प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियां।
12. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।